Lecture - 1

Topic - What is constitution

B.A. degree - II (sub.) Pol. Sci.

8-01-2022 By RKJ

संविधान :- प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होता है जिसके आधार पर शासन का गठन व संचालन होता है। सरल शब्दों में राज्य का संविधान लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों का संग्रह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन होता है और वह कार्य करती है। आधुनिक काल में प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान में शासन की शक्तियों के साथ-साथ शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध को भी समायोजित किया जाता है।

संविधान के नियम विस्तृत या संक्षिप्त रूप में लिखित हो सकते हैं अथवा उनमें से अधिकांश सिद्ध कथनों, प्रथाओं, दृष्टान्तों तथा व्यवहारों के रूप में भी हो सकते हैं। अनिवार्य बात यह है कि समग्र रूप में ये नियम राज्य के शासन के गठन तथा उसकी कार्य-विधि को निर्धारित करते हैं। यह किसी सभा या सम्मेलन द्वारा तैयार किए गए एवं प्रलेख के रूप में किया गया

सम्प्रभाव निर्माण हो सकता है अथवा यह राज्य के अभिहित प्रलेखों के संग्रह के रूप में भी हो सकता है जिसका सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैण्ड के संविधान में देखा जा सकता है।

संविधान के नियमों का चरित्र विकासवादी होता है। प्रमुख स्रोत जो राज्य के संविधान में परिवर्तन लाते हैं :-

(i) औपचारिक संशोधन - प्रत्येक संविधान में एक प्रक्रिया वर्जित होती है जिसके द्वारा समय की आवश्यकताओं के अनुसार, उसे संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह प्रावधान कि कोई व्यक्ति अमरीकी गणराज्य के राष्ट्रपति का पद दो से अधिक बार धारण नहीं कर सकता, 1951 के 22वें संशोधन का परिणाम है।

(ii) प्रमुख कानून - राज्य की विधायिका समय की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाती है। ये कानून कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के लिए 1911 में ब्रिटेन की संसद ने एक कानून बनाया जिसने हाउस ऑफ लार्ड्स की शक्तियां कम कर दीं और हाउस ऑफ कॉमन्स को वास्तव में शक्तिशाली सदन बना दिया।

(iii) कार्यपालिका आदेश - राज्य या शासन का अध्यक्ष समय-समय पर आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचनाएँ जारी करता है जो संविधान के नियमों

में परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के लोग अपने राजाओं द्वारा हस्ताक्षरित महान् घोषणाओं पर गर्व करते हैं जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा तथा 1628 की अधिकारों की याचिका।

(iv) प्रमुख न्यायिक निर्णय !— प्रमुख विवादों में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों से भी संविधान के प्रावधानों में संशोधन हो जाता है। उदाहरण के लिए अमरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मारबरी बनाम मेडिसन (1803) निर्णय से न्यायिक सर्वोच्चता का विकास हुआ है। भारत में केशवानंद भारती (1973) के मामले में संविधान के मूल ढांचे में संशोधन की मनाही की गई है।

(v) रीति-रिवाज या प्रथाएँ !— ये प्रथाएँ व्यवहार के कारण विकसित होती हैं तथा समय आने पर कानून का परिपक्व रूप धारण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड के प्रथाजनित नियम के कारण प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कामन्स में स्पष्ट बहुमत वाले दल का नेता होना चाहिए और यदि सदन उसके प्रति अविश्वास व्यक्त करे तो उसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

किसी राज्य के संविधान के विकास में इन घटकों की भूमिका देखी जा सकती है। मूल बात यह है कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संविधान के नियम समय-समय पर परिवर्तित होते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे विद्रोह होगा जो संविधान को ही नष्ट कर देगा।

Continues.....